


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 1984/भाग 11, 1905
No. 27] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 1984/MAGGA II, 1905

इस भाग में अलग पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1984

सा. का. नि. 19(अ) :—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि
संभावित और अधिक प्रयोग से मनुष्यों को जोखिम होने की संभावना है और
लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, अतः केन्द्रीय सरकार,
औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 10-क
द्वारा द्रव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के स्वास्थ्य और
परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. एक्स-11014/1/83-डी. एम. एम.
एण्ड पी. एफ. ए., तारीख 23 जुलाई, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है,
अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से अगुलान मारणी में क्रम संख्या 5 और उससे सम्बन्धित प्रदिष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रदिष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्

“०—मैथाक्वॉलोन”

संख्या एक—11014/8/83-डॉ. एम. एम. एण्ड पी. एफ. ए. (1)]

एम. वी. सुब्रामनियम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 1984

G.S.R. 48(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the use of the drug Methaqualone is likely to involve risk to human beings and that it is necessary and expedient in the public interest so to do;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 10A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. X-11014/1/83-DMS & PFA dated 23rd July, 1983, G.S.R. 577(E), dated the 23rd July, 1983, namely :—

In the Table appended to the said notification, after serial number 5 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely :—

“6. Methaqualone”.

[No. X. 11014/8/83-DMS & PFA(1)]

S. V. SUBRAMANIAN, Jt. Secy.